

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी किशनगढबास जिला अलवर  
अध्यासित द्वारा:- ओमप्रकाश सहारण ,आर.ए.एस.

मु.न.  
220 / 21

प्रवेश तिथि  
10.12.2021  
पर्चाडिकी  
उनवान

निर्णय तिथि  
12.01.2022

1. कुर्शेद पुत्र नुरु उर्फ नूरमोहम्मद
2. समीना बेवा फजरु
3. मुस्तकीम उम्र 13 साल
4. मुरसलीम उम्र 10 साल
5. अन्सार उम्र 09 साल
6. मुबारिक उम्र 07 साल
7. अहसान उम्र 05 साल
8. सुफियान उम्र 03 साल पुत्रान फजरु नाबालिग जरिये नैक्स्ट फेन्ड वली सरपरस्त माता खुद समीना जाति मेवान निवासी बृसंगपुर मेदावास तहसील किशनगढबास जिला अलवर

:-वादीगण

बनाम

1. राजस्थान सरकार जर्गे तहसीलदार किशनगढबास जिला अलवर राज.

:- प्रतिवादी

राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 88,89, 188


उपस्थिति :-

1. श्री राजेश शर्मा वकील वादीगण की और से।
2. प्रतिवादी की और से पैरोकार सरकार

वाद वादीगण बहक वादीगण विरुद्ध प्रतिवादीगण डिकी किया जाकर वादीगण को हाल आराजी खसरा नम्बर 858 रकबा 4.06 हे. मे से 4.0125 हे. , 783 रकबा 0.68 हे. मे से 0.5875 हे. , 782 रकबा 0.63 हे. मे से 0.4625 हे. एवं खसरा नम्बर 708 रकबा 0.52 हे. मे से 0.0875 हे. कुल कित्ता 4 रकबा 5.89 हे. मे से 5.15 हे. हे. वाके ग्राम बृसंगपुर तहसील किशनगढबास

उपखण्ड अधिकारी  
किशनगढबास (अलवर)

काबिज खातेदार काश्तकार घोषित किया जाना है ताहाल राजस्व रिकार्ड मे दर्ज सिचायचक को आराजी खसरा नम्बर 858 रकबा 4.06 हे. मे से 4.0125 हे. , 783 रकबा 0.68 हे. मे से 0.5875 हे. , 782 रकबा 0.63 हे. मे से 0.4625 हे. एवं खसरा नम्बर 708 रकबा 0.52 हे. मे से 0.0875 हे. कुल किता 4 रकबा 5.89 हे. मे से 5.15 हे. हे. वाके ग्राम बृसंगपुर तहसील किशनगढबास के हिस्से की जद तक कलमजन कर वादी सख्या 1 को समभाग एवं वादी सख्या 2 लगायत 8 को समभाग हिस्से का खातेदार दर्ज किये जाने के आदेश दिये जाते है आराजी उक्त की किस्म मुताबिक हाल राजस्व रिकार्ड यथावत बदस्तुर रहेगी। तदनुसार ही राजस्व रिकार्ड मे अमल हो।

  
(ओमप्रकाश सहारण )  
उपखण्ड अधिकारी  
किशनगढबास (आस (धनवर))

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी किशनगढबास जिला अलवर  
अध्यासित द्वारा:- ओमप्रकाश सहारण ,आर.ए.एस.

मु.न.  
220/21

प्रवेश तिथि  
10.12.2021

निर्णय तिथि  
12.01.2022

उनवान

1. कुर्शेद पुत्र नुरु उर्फ नूरमोहम्मद
2. समीना बेवा फजरू
3. मुस्तकीम उम्र 13 साल
4. मुरसलीम उम्र 10 साल
5. अन्सार उम्र 09 साल
6. मुबारिक उम्र 07 साल
7. अहसान उम्र 05 साल
8. सुफियान उम्र 03 साल पुत्रान फजरू नाबालिग जरिये नैक्स्ट फेन्ड वली सरपरस्त माता खुद समीना जाति मेवान निवासी बृसंगपुर मेदावास तहसील किशनगढबास जिला अलवर

:-वादीगण

बनाम

1. राजस्थान सरकार जयें तहसीलदार किशनगढबास जिला अलवर राज.

:- प्रतिवादी

राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 88,89, 188

उपस्थिति :-

1. श्री राजेश शर्मा वकील वादीगण की और से।
2. प्रतिवादी की और से पैरोकार सरकार

वकील वादीगण द्वारा प्रस्तुत वाद का सुक्ष्म वृतान्त निम्न प्रकार से है:-

वकील वादीगण ने वाद प्रस्तुत कर निवेदन किया है कि राजस्व ग्राम बृसंगपुर तहसील किशनगढबास के हाल आराजी खसरा नम्बर 858 रकबा 4.08 हे. 783 रकबा 0.68 हे. 708/0.52 हे., 782/0.63 हे. जिसके साबिक खसरा नम्बर क्रमशः : 570 मिन /16-01 बीघा, 570 मिन रकबा 2-07 बीघा , 487 मिन रकबा 0-03 बिस्वा, 576 मिन रकबा 0-04 बिस्वा , 844, 846, 50 मिन , 487 मिन , 570 मिन से कायम किये गये है इसी कदर ग्राम बाघोडा मे

  
उपखण्ड अधिकारी  
किशनगढबास (अलवर)

हाल खसरा नम्बर 468 रकबा 0.96 हे., 474 रकबा 0.63 हे. किता दो रकबा 1.59 हे. जिसके साबिक खसरा नम्बर 584, 585, 586, 590, 593, 609, 610 से कायम हुये है ।

विवादित आराजीयात वाके ग्राम बृसंगपुर व बाघोडा मिन वादीगण की बुजुर्गान की काश्त खातेदारी की आराजी रही है जिसपर वादीगण का परदादा चांदमल व दादा चुन्ना व पिता नूरु उर्फ नूर मोहम्मद व फजरु पुत्रान चुन्ना मेवान सदैव से ही काबिज काश्त रहे है। जिसके नाम का अंकन मिसल हकीयत सम्वत 2029 से पूर्व के साबिक जमाबन्दीयो मे अंकित किया हुआ है यहा यह भी उल्लेख करना आवश्यक है कि वर्तमान सीमा ग्राम बाघोडा मे स्थित आराजी पूर्व मे सीमा ग्राम बृसंगपुर क्षेत्र पडती थी चूकी ग्राम बृसंगपुर व बाघोडा की सीमाए आपस मे मिली हुई है हाल खसरा नम्बर 468, 474 वर्तमान मे सीमा ग्राम बाघोडा मे स्थापित कर दी थी। मुतनाजा आराजी पर वादीगण व उनके बुजुर्ग जायज अज 100-125 वर्षो से लगातार काश्त करते आ रहे है किन्तु सिवायचक के अंकन के बाद वादीगण व उनके दादा व पिता को अतिकमी मानते हुए धारा 91 एलआरएक्ट के तहत नोटिस जारी करना आरम्भ कर दिया। साबिक जमाबन्दी सम्वत 1990 मे मुतनाजा आराजी पर वादीगण के परदादा चुन्ना खां व रहीम खां के नाम का अंकन खातेदारी सम्वत 2013, 2017-20 व 2028 मे लगातार दर्ज चला आ रहा है किन्तु सैटलमेन्ट विभाग ने खिलाफ कानून व खिलाफ मौका सम्वत 2029 तैयार करते समय सिवायचक लगानी दर्ज कर दी । जो अंकन हकूक वादीगण के विरुद्ध बातिल वो बेअसर है काबिले दुरुस्ती है चुकी मुतनाजा आराजी पर वादीगण के पूर्वजो मृतक चांदमल , मृतक चुन्ना व मृतक नूरु उर्फ नूरमोहम्मद के अतिरिक्त किसी दीगर का कब्जा काश्त नही रहा और ना आज ही है।

वादीगण के पूर्वजो के नाम पी-14 सम्वत 2060, 2065, 2066, 2067 मे अंकित है इसरा गिरदावरी सम्वत 2007, 2010, 2014-17 मे भी वादीगण के परदादा चुन्ना व हीमबक्ख समभाग मे काश्त होना अंकित है साबिक जमाबन्दी सम्वत 2009 मे भी चुन्ना व हीमबक्ख पि. चान्दमल बहिस्से बराबर का अंकन दर्ज किया हुआ है इसी प्रकार से वादीगण उनके बुजुर्ग आराजी विवादित पर जायज अज सैकडो सालो से लगातार काबिज काश्त चले आ रहे है जिसकी कि रिकार्डेड काश्त दर्ज रिकार्ड पटवार चली आ रही है जिन्होने की लाखो गी पैनल्टीयां जमा राजकोष कराई है ऐसी सूरत मे बाईआपरेशन आफ ला वादीगण के हक हकूक खातेदारी प्रदान किया जाना उचित एवं न्यायोचित है चूकी राजस्थान टिनेन्सी एक्ट व राजस्थान बिस्वेदारी अधिनियम रायज होने के रोज भी वादीगण के पूर्वज मुतनाजा आराजी पर काबिज काश्त रहे है उनके फौत होने के बाद हम वादीगण काबिज काश्त है अतः वादीगण को आराजी के समभाग के खातेदार घोषित किया जाकर खातेदारी दर्ज कराई जावे। इस प्रकार की घोषणा वादीगण कराने के अधिकारी है अतः दावा इश्तकरारहक मय दुरुस्ती इन्द्राज दायर करना लाजिम आया है।

  
उपसण्ड अधिकारी  
किसानगढ़बास (अलवर)

अतः प्रार्थना है कि वाद वादीगण निम्न प्रकार से डिकी फरमाया जावे:-

यह है कि डिकी इश्तकरारहक दुरुस्ती इन्द्राज पारित की जाकर करार दिया जावे कि वादीगण राजस्व ग्राम बृसंगपुर तहसील किशनगढबास के हाल आराजी खसरा नम्बर 858 रकबा 4.08 हे. 783 रकबा 0.68 हे. , 708/0.52 हे., 782/0.63 हे. जिसके साबिक खसरा नम्बर कमश : 570 मिन /16-01 बीघा, 570 मिन रकबा 2-07 बीघा , 487 मिन रकबा 0-03 बिस्वा, 576 मिन रकबा 0-04 बिस्वा , 844, 846, 50 मिन , 487 मिन , 570 मिन से कायम किये गये है इसी कदर ग्राम बाघोडा मे स्थित हाल खसरा नम्बर 468 रकबा 0.96 हे., 474 रकबा 0.63 हे. किता दो रकबा 1.59 हे. जिसके साबिक खसरा नम्बर 584, 585, 586, 590, 593, 609, 610 से कायम किये गये है के काबिज काश्तकारान है काबिज वो दखिल है जो आराजी वादीगण की दादालाई की पैत्रिक भूमि है अतः मौजूदा इन्द्राज जो सिवायचक सरकारी के नाम का अंकन हो रहा है वह खिलाफ मौका खिलाफ कानून है तथा हजफ किये जाने योग्य है जिसे वादीगण हजफ कराकर अपने नाम का अंकन बतौर काश्तकार खातेदार सममाग की जद मे दर्ज कराने के अधिकारी है और इस प्रका की घोषणा वादीगण करा पाने के अधिकारी है वादीगण को आराजी के खातेदार काश्तकार घोषित किया जावे।

दावा प्रस्तुत होने पर दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादी को जर्ये सम्मन तलब किया गया। प्रतिवादी पैरोकार सरकार ने जबाब पेश कर निवेदन किया है कि वाद मे विवादित आराजी भू प्रबन्ध से पूर्व वादीगण के परदादा चुन्ना व रहीमबक्श पि. चान्दमल खातेदार दर्ज होना बताया गया। तथा भू. प्रबन्ध के पश्चातवर्ति जमाबन्दीया तमे आराजी उक्त को सिवायचक दर्ज रिकार्ड किया गया। वादीगण आराजी उक्त मे सिचायचक आराजी दुरुस्ती करा खातेदारी हकूक प्राप्त करना चाहते है। चूकी आराजी उक्त राजस्व रिकार्ड मे सिचायचक दर्ज रिकार्ड है जिस पर वादीगण को खातेदारी हकूक प्राप्त नहीं हो सकते है इसलिए वाद वादीगण को खारिज फरमाया जावे।

वकील वादीगण ने साक्ष्य के रूप मे पी.डब्ल्यू 1 कुर्शेद , पी.डब्ल्यू 2 समीना शपथ पत्र पेश किये। जो शामिल पत्रावली किये।

वकील वादीगण की बहस सुनी गई। वकील वादीगण ने वाद मे अंकित तथ्यो को दोहराते हुए वादीगण को डिकी किये जाने की इश्तदुआ की।

हमने वकील वादीगण की बहस का मनन किया तथा पत्रावली का अध्योपान्त अवलोकन किया। विवादित आराजी वाके ग्राम बृसंगपुर तहसील किशनगढबास के हाल साबिक खसरा नम्बरान का विवरण निम्न प्रकार से है:-

  
उपखण्ड अधिकारी  
किशनगढबास (अलवर)

### हाल खसरा नम्बर

858 रकबा 16 बीघा 01 बिस्वा  
783 रकबा 2 बीघा 14 बिस्वा

782 रकबा 2 बीघा 10 बिस्वा

708 रकबा 2 बीघा 01 बिस्वा

### साबिक खसरा नम्बर

570 मी रकबा 16 बीघा 01 बिस्वा

487 मी. रकबा 0-03 बिस्वा

576 रकबा 0-04 बिस्वा

570 मी. रकबा 2-07 बिस्वा

488मी रकबा 0-03 बिस्वा

546 रकबा 0-10 बिस्वा

570मी रकबा 1 बीघा 0-17 बिस्वा

487 मी रकबा 1 बीघा 14 बिस्वा

570 रकबा 0-07 बिस्वा

जैसा की हाल से साबिक आराजी वाके ग्राम बृसंगपुर पैमूद हुए है। जमाबन्दी सम्बत 2017 के अवलोकन से साबिक आराजी खसरा नम्बर 570 रकबा 20 बीघा 14 बिस्वा वाके ग्राम बृसंगपुर किस्म बजंड कदीम चून्ना रहीमबक्स पुत्रादी चान्दमल समभाग सा. देह खातेदार दर्ज राजस्व रिकार्ड है। जिसका 20 बीघा 12 बिस्वा रकबा हाल आराजी खसरा नम्बर 858, 783, 782, 708 वाके ग्राम बृसंगपुर तहसील किशनगढबास से बना है। जिससे यह बाखूबी साबित होता है कि विवादित आराजी उक्त का साबिक खसरा नम्बर 570 रकबा 20 बीघा 14 बिस्वा वाके ग्राम बृसंगपुर तहसील किशनगढबास वादीगण के बुजुर्गान की कब्जा काश्त खातेदारी की आराजी रही है जिसमे वादीगण के बुजुर्गान के खातेदार दर्ज होने का अंकन बाखूबी जमाबन्दी सम्बत 2017 से साबित होता है भू. प्रबन्ध विभाग द्वारा जमाबन्दी सम्बत 2029 कायम करते समय वादीगण की आराजी उक्त जो साबिक खसरा नम्बर 570 रकबा 20 बीघा 14 बिस्वा है जिसमे हाल खसरा नम्बर 858, 783, 782, 708 बने है जिन्हे सिवायचक लगानी दर्ज कर दिया गया। इस तरह के खातेदारी अधिकार का समाप्त करने का हक एवं अधिकारी भू. प्रबन्ध विभाग को हासिल नहीं था जबकी भू. प्रबन्ध विभाग द्वारा वादीगण के बुजुर्गान को पूर्वत जमाबन्दी के अनुसार खातेदार दर्ज करना चाहिए था। भू. प्रबन्ध से ताहाल रिकार्ड मे वादीगण के बुजुर्गान को सिवायचक दर्ज किया गया वो न्याय एवं विधि के सिद्धान्तो के विपरित है वादीगण के हक हकूको के खिलाफ है जिसे हम दुरुस्त किया जाकर भू. प्रबन्ध से ताहाल रिकार्ड मे वादीगण को पूर्वत जमाबन्दी सम्बत 2017 के अनुसार साबिक आराजी 20 बीघा 14 बिस्वा मे से 20 बीघा 12 बिस्वा का हाल राजस्व रिकार्ड खसरा नम्बर 858, 783, 782, 708 वाके ग्राम बृसंगपुर तहसील किशनगढबास मे अमल खातेदारी किया जाना उचित एवं न्यायसंगत समझते है। इसलिए साबिक खसरा नम्बर 570 रकबा 20 बीघा 14 बिस्वा जमाबन्दी सम्बत 2017 के आधार पर हाल खसरा नम्बर 858 रकबा 4.06 हे. मे से 4.0125 हे. , 783

  
उपखण्ड अधिकारी  
किशनगढबास (अलवर)

रकबा 0.68 हे. मे से 0.5875 हे. , 782 रकबा 0.63 हे. मे से 0.4625 हे. एवं खसरा नम्बर 708 रकबा 0.52 हे. मे से 0.0875 हे. कुल किता 4 रकबा 5.89 हे. मे से 5.15 हे. हे. वाके ग्राम बृसंगपुर तहसील किशनगढबास के काबिज खातेदार काश्तकार घोषित किया जाना उचित है तदनुसार ही राजस्व रिकार्ड मे वादीगण के नाम का अंकन सिचायचक से खातेदार किया जाना उचित एवं न्याय के सिद्धान्त के अनुसार है वाद वादीगण काबिले डिक्री करार पाता है।

अतः आदेश है:-

वाद वादीगण बहक वादीगण विरुद्ध प्रतिवादीगण डिक्री किया जाकर वादीगण को हाल आराजी खसरा नम्बर 858 रकबा 4.06 हे. मे से 4.0125 हे. , 783 रकबा 0.68 हे. मे से 0.5875 हे. , 782 रकबा 0.63 हे. मे से 0.4625 हे. एवं खसरा नम्बर 708 रकबा 0.52 हे. मे से 0.0875 हे. कुल किता 4 रकबा 5.89 हे. मे से 5.15 हे. हे. वाके ग्राम बृसंगपुर तहसील किशनगढबास काबिज खातेदार काश्तकार घोषित किया जाना है ताहाल राजस्व रिकार्ड मे दर्ज सिचायचक को आराजी खसरा नम्बर 858 रकबा 4.06 हे. मे से 4.0125 हे. , 783 रकबा 0.68 हे. मे से 0.5875 हे. , 782 रकबा 0.63 हे. मे से 0.4625 हे. एवं खसरा नम्बर 708 रकबा 0.52 हे. मे से 0.0875 हे. कुल किता 4 रकबा 5.89 हे. मे से 5.15 हे. हे. वाके ग्राम बृसंगपुर तहसील किशनगढबास के हिस्से की जद तक कलमजन कर वादी सख्या 1 को समभाग एवं वादी सख्या 2 लगायत 8 को समभाग हिस्से का खातेदार दर्ज किये जाने के आदेश दिये जाते है आराजी उक्त की किस्म मुताबिक हाल राजस्व रिकार्ड यथावत बदस्तुर रहेगी। तदनुसार ही राजस्व रिकार्ड मे अमल हो। पर्चा डिक्री जारी हो। खर्चा वादीगण स्वयं वहन करेगे। पत्रावली फ़ैसल सुमार होकर बाद तकमिल दाखिल लेख भण्डार हो सुना गया।

  
(ओमप्रकाश सहारण )  
उपायुक्त अधिकारी  
किशनगढबास (भलवर)